

FORM No. 111

फर्द अहकाम
(नियम 16)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....रूपबास.....मुकाम रूपबास, जिला भरतपुर.....

.....बीरवल्य कोठे बनाम.....किशन सिंह कोठे.....

किस्म मुकदमा..धारा .88.89.188 आर.टी.ए. मु0.न0.....सन्.....

| दिख स | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|-----------|--|---|
| 7.10.2024 | आज यह वाद पत्र वादी के अभिभाषक द्वारा अन्तर्गत धारा .88.89.188 आर.टी.ए.के तहत पेश किया गया । दावा दर्ज रजिस्टर हो । प्रतिवादीगण की तलवी जरिये सम्यक रजि.ए.डी सम्मन से की जाकर पत्रावली दिनांक 26.11.2024. को पेश हो। <i>Woh</i> उपखण्ड अधिकारी रूपबास (भरतपुर) | |
| 26/11/24 | पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वाडी उपर पूर्वद्वारा पत्रावली दि. 24/11/25 को पेश हो। <i>Woh</i> | |
| 24/11/25 | पत्रावली प्राप्त पेश हुई। वाडी एवं उसके अभिभाषक उपस्थित नहीं। बार-बार कई अंतरालों में वाडी एवं उसके अभिभाषक को आवाज दिया गई। बार-बार आवाज दिलवाने के बावजूद वाडी एवं उसके अभि. न्यायालय हाल में उपस्थित नहीं जाये। ऐसी स्थिति में वाडी का वाउ पत्र अंशम दाहिरी एवं अंशम पै. में खारिज किया जागा है। | |

